Title: Need to amend forest laws to ensure speedy development of areas inhabited by SC/STs particularly in Bharuch Parliamentary constituency, Gujarat-Laid.

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): वन संबंधी कानूनों से मेरे भरूच संसदीय क्षेत्र के नर्मदा जिले डीडीया पाडा और सगवारा तहसीलों के आदिवासी लोगों के विकास को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। रिजर्व फोरेस्ट कानून के चलते यहां के आदिवासी के खेतों को सिंचाई हेतु डेम नहीं बनाये जा सकते, आने जाने के लिए रोड नहीं बना सकते, पशुओं के पानी और खेतों की सिंचाई के लिए तालाब और छोटी-छोटी नहर नहीं बनाई जा सकती है। यह कैसा विरोधाभास है कि वनों के कानूनों से बनवासियों को ही नुकसान पहुंच रहा है।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों में इन कानूनों को इतना कठोर नहीं बनाया जाये और इन कानूनों को इस प्रकार से संशोधित किया जाये कि आदिवासी लोगों का विकास आसानी से किया जाये।